



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



क्र०- छग०/दंतेवाड़ा/लौ०अ०-15/रायपुर खान कोड: 30 एम०पी०आर० 48001 दिनांक :- 27.07.2017

प्रति,

श्री पी० के० सतपथी,  
निदेशक (उत्पादन) एवं नॉमिनेटेड ऑनर,  
एनएमडीसी लिमिटेड,  
खनिज भवन, कासल हिल, मासब टैंक,  
हैदराबाद- 500 028

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित आपकी बैलाडीला लौह अयस्क खदान डिपोजिट 10 क्षेत्रफल 309.34 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 20.07.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री एस० एस० नारायण मूर्ति, खनन अभियन्ता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
<b>Rule 11(1)</b>	The following deviations have been found in the mine from approved Modified Mining Plan vide letter no. BST/FE/MPLN-455/NGP-15 Dated 17/03/2016 for the period of 2015-16 to 2019-20: <b>Borehole:</b> For the year 2016-17, it has been proposed to carry out 14 nos. of borehole up to a cumulative depth of 980 m; whereas 13 nos. of boreholes have been drilled up to a cumulative depth of 1002 m.
<b>Rule 26(2)</b>	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2016-17.
<b>Rule 33</b>	Updated print copy of the surface geological plan and sections has not been submitted before 30th day of June for the year 2016-17.
<b>Rule 47</b>	Notice of shaft sinking and boreholes within fifteen days after the commencement has not been sent to the Regional Controller of Mines, Raipur.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत  
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

..कृ०पृ०००..2.

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री ए0 के0 शुक्ला, कार्यकारी निदेशक, बैलाडीला लौह अयस्क खदान, बचेली कॉम्प्लेक्स, जिला-साउथ बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.). 494556

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर